रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 2
PART III—Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 3, 1973/भाद्र 12, 1895
No. 2] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 1973/BHADRA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August 1973

No. DII-451(16/5)73.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of Section 7(b) and Section 8 (Article II) and Section 18 (Article V) of the Schedule to the said Act shall apply *mutatis mutandis* to the International Committee of Red Cross and its delegates in India for a period of six months.

S. J. S. CHHATWAL, Jt. Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त 1973

सं० डी II-451(16/5)73.—संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद दो की धारा 7(ख) और धारा 8 तथा अनुच्छेद पांच की धारा 18 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास समिति पर तथा भारत में इसके प्रतिनिधियों पर छह महीने की अवधि के लिए लागू होंगे।

एस० जे० एस० छतवाल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973